भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2373

जिसका उत्तर सोमवार, 03 अगस्त, 2026/12 श्रावण, 1948 (शक) को दिया गया

स्वर्ण ऋण में वृद्धि

†2373. डॉ. एम. के. विष्णु प्रसादः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान बैंकों और गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा संवितरित स्वर्ण ऋण की संख्या और मूल्य में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष–वार और राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने घरेलू वित्त पर स्वर्ण ऋणों की बढ़ती निर्भरता के प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान स्वर्ण ऋणों में चूक की संख्या में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान गिरवी रखे गए सोने की बैंकों और एनबीएफसी द्वारा की गई नीलामियों की संख्या और मूल्य का वर्ष–वार और राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा उधारकर्ताओं को संकटकालीन नीलामी से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) और गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के बकाया स्वर्ण ऋणों का वर्ष–वार ब्यौरा अनुबंध–I में दिया गया है। इसके अलावा, आरबीआई ने सूचित किया है कि वह स्वर्ण ऋण बकाया पर राज्य–वार आंकड़े नहीं रखता है।

(ग): सोने के बदले ऋण वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और ऋण तक पहुँच प्रदान करने में सहायक रहे हैं इसने विशेष रूप से ग्रामीण, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) तथा आबादी के वंचित वर्गों को लाभ पहुँचाया है और इसके तहत इस वर्ग के ऐसे ग्राहकों को बैंकों और एनबीएफसी सहित औपचारिक ऋण चैनलों के दायरे में लाया गया है, जो पहली बार बैंक या पहली बार ऋण ले रहे हैं। साथ ही, यह ऐसे उधारकर्ताओं की रक्षा करता है जो अन्यथा असंगठित चैनलों की ओर रुख कर सकते थे और अत्यधिक ब्याज दरों व शोषणकारी

ऋण शर्तों के शिकार हो सकते थे। आरबीआई ने जून, 2025 में सोने और चांदी के लिए ऋण देने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं, ताकि बैंकों, सहकारी बैंकों और एनबीएफसी में सोने के कोलेटरल के बदले ऋण मानदंडों में सामंजस्य स्थापित किया जा सके, साथ ही जिम्मेदार ऋण, संपार्श्विक मूल्यांकन और उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत किया जा सके। इन निदेशों में विवेकपूर्ण ऋण–से–मूल्य (एलटीवी) मानदंडों, स्वर्ण संपार्श्विक के मानकीकृत मूल्यांकन का प्रावधान है। इसके अलावा, घरेलू वित्त पर स्वर्ण ऋणों पर बढ़ती निर्भरता के प्रभाव के आकलन के संबंध में, आरबीआई समय–समय पर अपने वित्तीय स्थिरता और निगरानी तंत्र के हिस्से के रूप में स्वर्ण ऋण क्षेत्र में विकास की निगरानी करता है।

(घ): पिछले पांच वर्षों के दौरान स्वर्ण ऋण में चूक करने वालों की संख्या में कमी आई है। एससीबी के स्वर्ण ऋणों के लिए सकल गैर–निष्पादित परिसंपत्ति (जीएनपीए) अनुपात 31 मार्च, 2023 को 0.19 प्रतिशत से घटकर 31 मार्च, 2026 तक 0.12 प्रतिशत हो गया है। इसी प्रकार, इसी अवधि के दौरान एनबीएफसी के स्वर्ण ऋण के लिए जीएनपीए अनुपात 2.32% से घटकर 0.81% हो गया है। इसका ब्यौरा अनुबंध–II में दिया गया है।

(ङ) और (च): आरबीआई ने सूचित किया है कि वह गिरवी रखे गए स्वर्ण की नीलामी का वर्ष–वार या राज्य–वार ब्यौरा नहीं रखता है। इसके अतिरिक्त, वसूली के दौरान उधारकर्ताओं को मजबूरी में स्वर्ण बेचने से बचाने के लिए, आरबीआई ने अन्य उपायों के साथ–साथ नीलामी से पहले पर्याप्त पूर्व सूचना, वर्तमान संपार्श्विक मूल्य के कम से कम 90% का आरक्षित मूल्य, बकाया राशि के समायोजन के बाद प्राप्त किसी भी अधिशेष की वापसी, और पारदर्शी परख, मूल्यांकन, नीलामी और वसूली कार्य पद्धतियों जैसे उपायों को निर्धारित किया है। नियामक ढांचे के तहत शुल्कों का पहले से प्रकटीकरण, मानकीकृत दस्तावेज़ीकरण और गिरवी रखी गई संपत्ति को वापस सौंपने में होने वाली देरी के लिए मुआवज़े आवश्यक बनाया है, जिससे उपभोक्ता संरक्षण मजबूत होता है और उधारकर्ताओं के साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित होता है।

अनुबंध –I

" स्वर्ण ऋण में वृद्धि" के संबंध में दिनांक 03.8.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2373 के उत्तर के भाग (क) और (ख) में संदर्भित अनुबंध

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का ब्यौरा – स्वर्ण ऋण

राशि करोड़ ₹ में

बैंक समूह का नाम	बकाया अग्रिम (निम्नलिखित तारीख तक)			
	31–03–23	31–03–24	31–03–25	31–03–26
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	4,67,983	5,92,501	7,55,929	11,30,940
निजी क्षेत्र के बैंक	1,38,747	1,68,118	2,14,027	3,06,111
विदेशी बैंक	4,785	7,246	4,039	7,703
लघु वित्त बैंक	3,826	5,383	9,720	18,356
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	6,15,341	7,73,248	9,83,716	14,63,118

एनबीएफसी का ब्यौरा (मध्यम और ऊपरी स्तर) – स्वर्ण ऋण

निम्नलिखित तारीख तक	कुल अग्रिम (बकाया) (₹ करोड़ में)
31–03–22	1,19,088
31–03–23	1,30,839
31–03–24	1,54,496
31–03–25	2,10,010
31–03–26	3,66,552

**स्रोत भारतीय रिजर्व बैंक*

**प्रदान की गई जानकारी एससीबी (आरआरबी और भुगतान बैंक को छोड़कर) द्वारा ऑफसाइट रिटर्न में बताई गई है*

**जैसा कि आरबीआई द्वारा सूचित किया गया है मार्च 2022 के लिए स्वर्ण ऋण का ब्यौरा एससीबी के लिए उपलब्ध नहीं है*

**एनबीएफसी के साथ पंजीकृत एनबीएफसी की सूची के अनुसार मध्य और ऊपरी स्तर में एनबीएफसी (सीआईसी, पीडी और एचएफसी को छोड़कर) के लिए दिनांक 31 मार्च, 2026 को आरबीआई के साथ पंजीकृत ब्यौरा प्रदान किया गया है।*

**मार्च 2026 का ब्यौरा अनंतिम है।*

**राज्यवार ब्यौरा आरबीआई के पास उपलब्ध नहीं है*

अनुबंध–II

" स्वर्ण ऋण में वृद्धि" के संबंध में दिनांक 03.8.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2373 के उत्तर के भाग (घ) में संदर्भित अनुबंध

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और एनबीएफसी(मध्यम और ऊपरी स्तर) का ब्यौरा – स्वर्ण ऋण जीएनपीए अनुपात

बैंक समूह का नाम	जीएनपीए अनुपात (प्रतिशत में)				
	31–03–22	31–03–23	31–03–24	31–03–25	31–03–26
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	NA	0.19	0.19	0.22	0.12
एनबीएफसी	2.31	2.32	2.35	2.13	0.81

**जीएनपीए अनुपात आरबीआई द्वारा दिए गए एनपीए और स्वर्ण ऋण बकाया ब्यौरे के आधार पर संकलित किया जाता है*

**जैसा कि आरबीआई द्वारा सूचित किया गया है मार्च 2022 के लिए स्वर्ण ऋण का ब्यौरा एससीबी के लिए उपलब्ध नहीं है*